मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 2, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री एम.व्ही. चन्द्रशेखर मूर्ति, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री, के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000, पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा-56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-10-94-पन्द्रह-1, दिनांक 6 सितम्बर, 2001 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अनूप मिश्रा, अजय विश्नोई, सदस्य, भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संचालक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, हिम्मत कोठारी, सदस्य, ग्वालियर के जयविलास पैलेस के कुंए से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति ले जाने वालों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले में धान का समर्थन मूल्य कृषकों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, राजमणि पटेल, देवेन्द्र तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले में ट्रायफेड द्वारा कृषकों से खाद्यान्न की खरीदी न होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री मुन्ना सिंह, राकेश, बृजराज सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर एवं मेहगांव क्षेत्र में पलेवा हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री स्वामी प्रसाद, बाबूलाल गौर, सदस्य, छतरपुर जिले में जल उपभोक्ता समितियों को वित्तीय सहायता न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, राजगढ़ जिले में उन्नत चूल्हा के निर्माण में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री राजमणि पटेल, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में हेलमेट विलेज योजना के तहत गांवों को विद्युतीकृत न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री धूल सिंह यादव, वकील, सदस्य, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में अज्ञात बीमारी से अफलन की स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री लालसिंह, सदस्य, मुरैना स्थित पिलुआ बांध के प्रदूषित पानी से धान की फसल नष्ट होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों पर अनेक कर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद नगर में नजूल भूमि की बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(13) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद जिले में पुलिस की लापरवाही से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(14) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में नकली खाद बीज का कारोबार होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर क्षेत्र में कम वोल्टेज से विद्युत प्रदाय होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, श्योपुर जिले के रावतपुरा ग्राम में भूख से पांच आदिवासी बच्चों की मौत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री नरेन्द्र बिरथरे, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा विकास कार्यों आदि हेतु कोषालय से किये जाने वाले भुगतान पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-